

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर
क्रमांक: स0 3-5 (5) स्थाना/राजपत्रित/16 / 621-660 जयपुर, दिनांक 10.10.2016
आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.10.2016 की निरन्तरता में आंशिक संशोधन के पश्चात् निम्नलिखित अभियोजन अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टिकोण से लोक हित में तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र०सं०	नाम अभियोजन अधिकारी	कहाँ से (न्यायालय का नाम)	कहाँ को (न्यायालय का नाम)	वि०वि०
1.	श्री मुकेश पालीवाल	एसीजेएम, बूंदी	एसीजेएम, निवाई (टोंक)	श्री परमार के स्थान पर
2.	श्री नरेन्द्र सिंह परमार	एसीजेएम, निवाई (टोंक)	एसीजेएम, बूंदी	श्री पालीवाल के स्थान पर
3.	श्री मनोज कुमार शर्मा	एसीजेएम, उदयपुरवाटी (झुन्झुनु)	एसीजेएम, रतनगढ (चुरु)	श्री वर्मा के स्थान पर
4.	श्री मदनलाल वर्मा	एसीजेएम, रतनगढ (चुरु)	एसीजेएम, उदयपुरवाटी (झुन्झुनु)	श्री शर्मा के स्थान पर
5.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा	एसीजेएम, शाहपुरा (जयपुर देहात)	सीआईडी (सीबी) जयपुर पुलिस मुख्यालय	श्री सिंह के स्थान पर
6.	श्री कमल सिंह	सीआईडी (सीबी) जयपुर पुलिस मुख्यालय	एसीजेएम, जेडीए जयपुर	श्री नागर के स्थान पर
7.	श्री अशोक नागर	एसीजेएम, जेडीए, जयपुर	एसीजेएम, शाहपुरा (जयपुर देहात)	श्री शर्मा के स्थान पर
8.	श्रीमति सपना चौहान	एसीजेएम, जैतारण (पाली) स्थानान्तरणाधीन	एसीजेएम, 6 जोधपुर	पूर्ववर्ती स्थान पर
9.	श्री पुरुषोत्तम नामा	एसीजेएम, भीम (राजसमन्द)	एसीजेएम, जैतारण (पाली)	श्रीमति चौहान के स्थान पर
10.	श्री राजेश अग्रवाल	एसीजेएम, धरियावाद (प्रतापगढ)	एसीजेएम, भीम (राजसमन्द)	श्री नामा के स्थान पर

सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन उपरोक्त अधिकारीगण के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) की आज्ञा क्रमांक प0 5 (1) प्रसु/सम/अनु-1/2008 दिनांक 09 सितम्बर 2016 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाग को अविलम्ब अवगत करावें।

रि०
(देवेन्द्र दीक्षित)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
3. महानिदेशक, पुलिस/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. निदेशक अभियोजन को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
5. सम्बन्धित जिला कलक्टर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
7. निदेशक वादकरण, जयपुर।
8. सम्बन्धित उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन।
9. सम्बन्धित अधिकारीगण।
10. रक्षित पत्रावली।

रि०
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर